

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 166
दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत पेयजल की आपूर्ति

†*166. डॉ. सी. एम. रमेश:

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में 700 से अधिक बस्तियों को शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त जिले में लगभग 100 बस्तियों को अभी तक पचपन लीटर (55 ली.) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) वर्ष 2023 से जल जीवन मिशन के अंतर्गत शामिल की गई ग्रामीण बस्तियों की संख्या में पचपन एलपीसीडी से कम पेयजल आपूर्ति प्राप्त करने वाली ग्रामीण बसावटों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और छत्तीसगढ़ के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) उन बस्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और छत्तीसगढ़ के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है जहां वर्ष 2023 से सप्ताह में सात दिन से भी कम समय के लिए जलापूर्ति की गई थी;
- (ङ) वर्ष 2021-22 से अपर्याप्त या अनियमित पेयजल आपूर्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों और दूर की गई शिकायतों तथा लंबित शिकायतों की संख्या सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और छत्तीसगढ़ के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- (च) जल जीवन मिशन के अंतर्गत कवरेज के बावजूद लगातार जल की कमी का सामना कर रही बस्तियों में पेयजल आपूर्ति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत पेयजल की आपूर्ति” के संबंध में डॉ. सी. एम. रमेश और श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत द्वारा पूछे गए दिनांक 30.07.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *166 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं सहित उनकी आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की मदद करती है।

भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी सुनिश्चित रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़े हुए परिव्यय और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पुनर्गठित कार्यान्वयन ढांचे के साथ दिसंबर, 2028 तक जेजेएम के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनाकापल्ली जिले की 1539 बसावटों में से 549 बसावटों को 55 एलपीसीडी (100% नल कनेक्शन) से कवर किया गया है और शेष 990 बसावटों को दिसंबर 2028 तक कवर करने के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) अलग-अलग बसावट स्तर पर सेवा प्रदायगी की बारीकी से ट्रैकिंग सहित पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और दैनिक संचालन तथा अनुरक्षण (ओ एंड एम) की जिम्मेदारी केवल संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के स्तर पर होती है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 33 जिलों में 1,816 बसावटें जेजेएम के तहत कवर की गई हैं, लेकिन उनको 2023 से 55 एलपीसीडी से कम की पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 2023 से 5 जिलों की 471 बसावटों को लगभग प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति हो रही है। राज्य द्वारा प्रस्तुत जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ड) जल राज्य का विषय होने के कारण, *अन्य बातों के साथ-साथ*, जेजेएम के अंतर्गत अपर्याप्त अथवा अनियमित पेयजल आपूर्ति सहित सवाल/शिकायतें आदि के कार्य की देखरेख तथा उनका निपटान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 2021-22 से अपर्याप्त या अनियमित पेयजल आपूर्ति के संबंध में कुल 2,062 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 1,941 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है, जबकि 121 शिकायतें लंबित हैं। राज्य द्वारा प्रस्तुत जिला-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(च) कवरेज के बावजूद बसावटों में लगातार कमी को दूर करने के लिए, जल जीवन मिशन 2.0 ने अपना मुख्य ध्यान अवसंरचना निर्माण से बदलकर सतत सेवा प्रदायगी और स्रोत सुरक्षा पर केंद्रित कर दिया है। सरकार ने जिला स्रोत स्थिरता कार्य योजना (डीएसएसएपी) तैयार करने का अधिदेश दिया है और वैज्ञानिक भूजल पुनर्भरण के लिए जलभृत आधारित आयोजना को अपनाया है। भूजल संकुचन की निगरानी करने और घटती मात्रा का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक डिजिटल निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) नियोजित की गई है। इसके अलावा, जेजेएम 2.0 दिशानिर्देशों में जलवायु अनुकूलन के लिए योजनाओं में वैकल्पिक जल स्रोतों को शामिल करने के लिए विशेष रूप से अधिदेश दिया गया है, कमी के दौरान पीने के पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पारिवारिक जल आवंटन प्राथमिकता को लागू किया गया है, तथा निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए प्रतिक्रियाशील मरम्मत से निवारक रखरखाव में परिवर्तन हेतु जिला तकनीकी इकाइयों (डीटीयू) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वीबी-जीरामजी, वित्त आयोग अनुदान और जिला खनिज निधियों के तहत उपलब्ध निधियों का उपयोग करके सामंजस्य गतिविधियां शुरू कर रहे हैं।

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *166 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(i) जेजेएम के तहत कवर की गई उन ग्रामीण बसावटों का जिला-वार विवरण, जिन्हें 2023 से 55 एलपीसीडी से कम की पेयजल आपूर्ति हुई है

क्र. सं.	जिला का नाम	बसावटों की संख्या
1.	बिलासपुर	21
2.	जी.पी.एम.	182
3.	मुंगेली	53
4.	कोरबा	24
5.	जांजगीर-चंपा	12
6.	शक्ति	0
7.	रायगढ़	24
8.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	22
9.	सरगुजा	16
10.	बलरामपुर	22
11.	सूरजपुर	0
12.	कोरिया	71
13.	एमसीबी	48
14.	जशपुर	220
15.	बस्तर	46
16.	दंतेवाड़ा	29
17.	बीजापुर	41
18.	सुकमा	26
19.	कंकेर	15
20.	कौडागांव	259
21.	नारायणपुर	370
22.	रायपुर	0
23.	बलौदाबाजार	37
24.	गरियाबंद	15
25.	धमतरी	0
26.	महासमुंद	22
27.	दुर्ग	0
28.	बालोद	1
29.	बेमेट्टा	82
30.	राजनांदगांव	0
31.	केसीजी	0
32.	मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी	40
33.	कवर्धा	118
	कुल -	1816

(ii) उन बसावटों का जिला-वार विवरण जहां 2023 से लगभग प्रतिदिन जल आपूर्ति हो रही है।

क्र. सं.	जिला का नाम	बसावटों की संख्या
1.	बिलासपुर	0
2.	जी.पी.एम.	0
3.	मुंगेली	0
4.	कोरबा	0
5.	जांजगीर-चंपा	0
6.	शक्ति	0
7.	रायगढ़	0
8.	सारंगढ़- बिलाईगढ़	0
9.	सरगुजा	0
10.	बलरामपुर	0
11.	सूरजपुर	0
12.	कोरिया	0
13.	एमसीबी	0
14.	जशपुर	0
15.	बस्तर	0
16.	दंतेवाड़ा	47
17.	बीजापुर	74
18.	सुकमा	0
19.	कंकेर	0
20.	कोंडागांव	214
21.	नारायणपुर	118
22.	रायपुर	0
23.	बलौदाबाजार	0
24.	गरियाबंद	0
25.	धमतरी	0
26.	महासमुंद	18
27.	दुर्ग	0
28.	बालोद	0
29.	बेमेट्रा	0
30.	राजनांदगांव	0
31.	केसीजी	0
32.	मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी	0
33.	कवर्धा	0
	कुल-	471

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *166 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2021-22 से अपर्याप्त या अनियमित पेयजल आपूर्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों का जिला-वार विवरण

क्र. सं.	जिला का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या	हल की गई की संख्या	लंबित की संख्या
1.	बिलासपुर	9	9	0
2.	जी.पी.एम.	8	8	0
3.	मुंगेली	25	25	0
4.	कोरबा	15	15	0
5.	जांजगीर-चंपा	12	11	1
6.	शक्ति	4	4	0
7.	रायगढ़	6	6	0
8.	सारंगगढ़-बिलाईगढ़	2	2	0
9.	सरगुजा	39	37	2
10.	बलरामपुर	84	71	13
11.	सूरजपुर	40	40	0
12.	कोरिया	41	27	14
13.	एमसीबी	119	111	8
14.	जशपुर	178	178	0
15.	बस्तर	33	24	9
16.	दंतेवाड़ा	4	4	0
17.	बीजापुर	187	162	25
18.	सुकमा	3	3	0
19.	कंकेर	31	24	7
20.	कोंडागांव	35	28	7
21.	नारायणपुर	65	60	5
22.	रायपुर	182	173	9
23.	बलौदाबाजार	75	65	10
24.	गरियाबंद	162	162	0
25.	धमतरी	88	78	10
26.	महासमुंद	34	34	0
27.	दुर्ग	77	76	1
28.	बालोद	93	93	0
29.	बेमेट्रा	108	108	0
30.	राजनांदगांव	143	143	0
31.	केसीजी	27	27	0
32.	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	76	76	0
33.	कवर्धा	57	57	0
	कुल:-	2062	1941	121